19

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2017 पुनरीक्षण I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4489

1. छेदीलाल पुत्र दरऊवा धोबी
2. बंशीलाल पुत्र दरऊवा धोबी
3. लालदिमान पुत्र दरऊवा धोबी

तीनों निवासीगण ग्राम हिनौता तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1. देवीदीन पुत्र बहोरा धोबी
2. मुरली पुत्र बहोरा धोबी
3. अर्जुन पुत्र बहोरा धोबी
4. बलुबा पुत्र रामाधीन धोबी
5. बैजू 6. बहादुर 7. विनोद

पुत्रगण हल्का धोबी

समस्त निवासीगण ग्राम हिनौता तहसील लवकुशनगर जिला – छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव एडवोकेट
द्वारा आज दि. 16-11-17 को
प्रस्तुत
16-11-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
पे.दि. 8-12-17

मुकेश भार्गव
16-11-17 एडवोकेट
ग्वालियर

<u>न्यायालय नायब तहसीलदार पठा तहसील लवकुशनगर द्वारा प्रकरण कमांक 31/अ–27/15–16 में पारित आदेश दिनांक 9.11.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- एक/निग./छतरपुर/भू.रा./2017/4489

<u>**छेदीलाल आदि विरूद्ध देवीदीन आदि**</u>

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत I 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार पठा, तहसील लवकुशनगर जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 31/अ-27/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 09-11-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 08-12-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार पठा, तहसील लवकुशनगर जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर	

कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

2.1.19

(आर.के. जैन)

सदस्य